राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1564/2024

उमेश चन्द्र शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य, शहीद ले. अभय पारीक, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गांधीनगर जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 02.04.2024
आदेश की दिनांक : 03.04.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

समक्ष :– अन्नत भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2 अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रयोगशाला सहायक के पद पर शहीद ले. अभय पारीक, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गांधीनगर जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अप्रैल 1987 में प्रयोगशाला सहायक के पद पर की हुई थी। अपीलार्थी के पास शैक्षणिक योग्यता बी.ए., बी.एड. व एम.ए. हिन्दी से है। अपीलार्थी को योग्यता के अनुसार निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 ने आदेश दिनांक 28.07.2009 (अनुलग्नक–2) के द्वारा वर्ष 2007–2008 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठ अध्यापक सामान्य के पद पर पदोन्नति की गई। परंतु अपीलार्थी की तीसरी संतान मई 2006 में होने के कारण अपीलार्थी को उक्त पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया तथा बाद में भी अपीलार्थी को पदोन्नति प्रदान नहीं की गई। राज्य सरकार ने

दिनांक 16.03.2024 को अधिसूचना जारी समस्त सेवा नियमों में संशोधन किया तथा परिपत्र दिनांक 24.05.2023 (अनुलग्नक–3) के अनुसार यह निर्देश जारी किये गये कि वर्ष 2019–20 तक उन कार्मिकों की पदोन्नति भी रिव्यू डीपीसी आयोजित कर की जायेगी, जिस दिनांक को पदोन्नति ड्यू हो गई थी और उसका वेतन ऐसी पदोन्नति पर उस वेतन पर जिसे वह आहरित करता, पुनः नियत किया जायेगा। किंतु कोई बकाया का भुगतान नहीं किया जायेगा। अपीलार्थी ने उक्त परिपत्रों के आधार पर दिनांक 18.08.2023 (अनुलग्नक–1) को प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर वर्ष 2007–2008 की रिक्तियों के सिरूद्ध वरिष्ठ अध्यापक सामान्य के पद पर पदोन्नति के संबंध में निवेदन किया लेकिन आज दिनांक तक उसका कोई निस्तारण नहीं किया गया है। अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक छीतर मल शर्मा जो कि वर्तमान में व्याख्याता हिन्दी के पद पर कार्यरत है, को पदोन्नति प्रदान की गई जबकि अपीलार्थी को पदोन्नति प्रदान नहीं की गई। जो कि अनुचित एवं विधि विरूद्ध है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 28.07.2009 (अनुलग्नक–2) के अनुसार वर्ष 2007–08 की रिक्त्यिों के विरूद्ध वरिष्ठ अध्यापक सामान्य के पद पर पदोन्नत किया जाकर अपीलार्थी को दिनांक 01.04.2007 से उक्तानुसार फिक्सेशन कर समस्त एरियर मय ब्याज दिलाया जावे। साथ ही कनिष्ठ कार्मिक के समान व्याख्याता के पद पर पदोन्नत किया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में इस निर्णय की प्रमाणित प्रति मय अभ्यावेदन प्रप्त होने पर आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर

नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अन्नत भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)